न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/400

1. सीता बाई उर्फ छीता बाई पुत्री शंकर लाल जी पत्नी श्री लाल जाति माली (मृतक) जरिये उत्तराधिकारीगण :–
   - 1/1. राधेश्याम आत्मज श्री लाल जी जाति माली ।
   - 1/2. मांगीलाल आत्मज श्री लाल जी जाति माली निवासीगण रेलवे स्टेशन कोटा ।
   - 1/3. रूपनारायण आत्मज श्री लाल जी जाति माली (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी :–
   - 1/3/1. दीपेश सुमन आत्मज रूपनारायण जाति माली निवासी 03 एफ 03 आर.के. पुरम् बाम्बे योजना कोटा ।
   - 1/3/2. कुशल सुमन आत्मज रूपनारायण जी जाति माली निवासी भीमगंजमण्डी थाने के पीछे कोटा जंक्शन, कोटा ।
   - 1/3/3. लोकेश सुमन आत्मज रूपनारायण जी जाति माली निवासी 03 एफ 04 आर. के. पुरम् बाम्बे योजना, कोटा ।
   - 1/4. लालचन्द आत्मज श्रीलाल जी जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा (मृतक) जरिये उत्तराधिकारीगण :–
   - 1/4/1. दिनेश आत्मज लालचन्द जी जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा ।
   - 1/4/2. बन्टी आत्मज लालचन्द जी जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा ।
   - 1/4/3. कान्ती बाई बेवा लालचन्द जाति माली निवासी रेलवे स्टेशन कोटा ।
2. गोपी पुत्री शंकर लाल जी जाति माली पत्नी राधाकिशन जी माली निवासी कोटडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. माणक चन्द आत्मज श्री गोमदा जाति माली निवासी खेडली फाटक तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. प्रेमचन्द
3. बालचन्द
4. घनश्याम
5. गणेश राम पिसरान श्री गोमदा जी जाति माली निवासीगण ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. पार्वती
7. रामनाथी
8. रामकन्या
9. भूली बाई
10. कमला बाई पुत्रियॉ श्री गोमदा जी जाति माली निवासीगण ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

12. गोपाल आत्मज श्री माधोलाल जी जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    12/1. कजोडी बाई बेवा गोपाल जी ।
    12/2. दाखां बाई पुत्री गोपाल जी ।
    12/3. कन्या बाई पुत्री गोपाल जी ।
    12/4. अणदी लाल आत्मज श्री गोपाल जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    12/4/1. प्रेमबाई बेवा अणदीलाल जी जाति माली निवासी, के0 पाटन ।
    12/4/2. जितेन्द्र पुत्र अणदीलाल नाबालिग जरिये वेली माता प्रेम बाई ।
    12/4/3. रघुवीर पुत्र अणदीलाल नाबालिग जरिये वेली माता प्रेम बाई ।
    12/4/4. पूजा पुत्री अणदीलाल नाबालिग जरिये वेली माता प्रेम बाई ।
    12/5. कान्ता पुत्री गोपाल जी
    12/6. संतोष पुत्री गोपाल जी
    12/7. दुर्गाशंकर आत्मज श्री गोपाल जी जाति माली निवासीगण ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
13. गोपीचन्द आत्मज श्री माधो लाल जाति माली निवासी ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 12 एवं 13 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन में कुल 10 किता की 46 बीघा 04 बिस्वा आराजी स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अंकित है । इसी प्रकार ग्राम श्रीपुरा तहसील के0 पाटन में कुल 04 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में केवल प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जो गलत है क्योंकि उक्त सम्पत्ति खाना जी की है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । आराजी खसरा

नम्बर 38 रकबा 0.23 हैक्टर ग्राम रंगराजपुरा जिसमें वादीगण का 1/2 व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है जिसका वादीगण विभाजन कराने के अधिकारी हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने हिस्से का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को पृथक से अपने खाते में दर्ज करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर 1/2 हिस्से का बंटवारा किया जावे एवं पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । इस आशय की अधिकार घोषणा व बंटवारा की डिक्री पारित की जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 1/1 के कायममुकामान व 1/2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो अवैध एवं प्रभावशून्य है । अपीलान्ट 1/1 लगायत 1/2/2 मृतक सीताबाई के पुत्र एवं पौत्र हैं । इन्हें बिना पक्षकार बनाये एक तरफा तौर पर निर्णय पारित किया गया है । स्व0 नन्दा लाऔलाद फौत हो गया तथा उसके प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं थे। सीताबाई एवं गोपीबाई उसकी सगी बहने हैं । स्व0 श्री नन्दा जी ने स्वेच्छा से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत सीताबाई एवं गोपी बाई के पक्ष में निष्पादित कर दिनांक 28.11.1986 को पंजीकृत करवा दी । किसी भी वाद में प्रारम्भिक वादी एवं प्रतिवादी के अधिकार तय किये जाते हैं । कायममुकामान तो वाद को केवल मात्र आगे चलाने के लिये बनाये जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की पूर्णरूप से अवहेलना करते हुए स्व0 नन्दा जी के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1/3 माणकचन्द जो कि गोमदा का पुत्र है को 1/4 हिस्सा भूमि दिये जाने का निर्णय पारित किया है जो अवैध है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रस्तुत वाद में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि प्रार्थीगण अपीलान्ट मृतक सीताबाई के उत्तराधिकारी हैं तथा आवश्यक पक्षकार हैं । दिनांक 26.09.2019 को माणकचन्द प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में विचाराधीन अन्य प्रकरण में प्रस्तुत करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 27.09.2019 को प्राप्त कर यह अपील

न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की गई है । गोपाल एवं गोपीचन्द के द्वारा नन्दा एवं गोमदा के विरूद्ध घोषणा खातेदारी एंव विभाजन आराजी का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें वादी और प्रतिवादीगण का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित था । दौराने दावा वादी गोपाल तथा प्रतिवादीगण का स्वर्गवास हो गया तथा दोनों के ही कायम मुकामान बनाये गये जिसमें गोपाल के पुत्र अणदीलाल का भी स्वर्गवास हो गया और उसके भी कायममुकामान बनाये गये तथा प्रतिवादी नन्दा के स्वर्गवास हो जाने के कारण छीता उर्फ सीता एवं गोपी जो कि मृतक नन्दा की सगी बहिने हैं को नन्दा का कायममुकामान बनाया गया लेकिन उसके साथ ही त्रुटिपूर्ण तरीके से गोमदा के पुत्र माणकचन्द को भी नन्दा का कायममुकामान बना दिया था । दिनांक 17.02.2006 को नन्दा के कायममुकामान छीता उर्फ सीता का स्वर्गवास हो गया किन्तु उसका कोई भी कायममुकामान नहीं बनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो पूर्ण रूप से अवैध एवं प्रभावशून्य है । अपीलान्ट क्रम 1/1 लगायत 1/4/2 मृतक सीताबाई के पुत्र एवं पौत्र हैं इन्हें पक्षकार बनाये बिना एक तरफा निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । नन्दा लाऔलाद फौत हो गया था तथा उसके प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं थे । सीताबाई एवं गोपीबाई उसकी सगी बहिनें हैं । स्व0 नन्दा जी ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 28.11.1986 को सीताबाई एवं गोपीबाई के पक्ष में निष्पादित कर दी । किसी भी वाद में प्रारम्भिक वादी एवं प्रतिवादी के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं कायममुकामान तो वाद में केवल मात्र आगे चलाने के लिए बनाये जाते हैं । इस प्रकार वाद में कायममुकामानों का स्वत्व निर्धारित नहीं किया जाता । अधीनस्थ न्यायालय को मूल वादी एवं प्रतिवादीगण के हक निर्धारित किये जाने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की पूर्णरूप से अवहेलना करते हुए स्व0 नन्दा जी के हिस्से की 1/4 भूमि प्रतिवादी क्रम 1/3 माणकचन्द जो कि गोमदा का पुत्र है को दिये जाने का निर्णय पारित किया है जो पूर्णरूप से अवैध एवं प्रभावशून्य है । माणकचन्द को 1/4 हिस्से की भूमि दी गयी है जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है । बिना किस आधार के दोनों पक्षकारों के द्वारा निर्णय के लिए सहमति प्रदान किया जाना अंकित किया गया है । सीता बाई के कायमुकामान को पक्षकार नहीं बनाया गया है । ऐसी स्थिति में उनकी ओर से सहमति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । जो वसीयत माणकचन्द के पक्ष में बताई जा रही है वह अपंजीकृत है यदि वसीयत के आधार पर माणकचन्द अपने अधिकार तय करवाना चाहते हैं, तो उन्हें पृथक से दावा करना चाहिए । नामान्तरकरण से पक्षकारों के स्वत्व निर्धारित नहीं होते हैं । नामान्तरकरण एक फिसकल प्रक्रिया होती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैध है और अवैध निर्णय को अपास्त करने के लिए लिमिटेशन गौण हो जाती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में

डीएनजे (एससी) 2019 पेज 131, 2017 (2) आरआरटी पेज 1047, 2008 (8) एससीसी पेज 531, 2010 (2) एससीसी पेज 162, आरएलडब्ल्यू 2013 (3) राज0 पेज 1921, आरआरडी 1991 पेज 492 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने तकनीकी आधार पर अपील पेश की है । नन्दा लाऔलाद फौत हुए थे और उनके कायममुकामान माणक चन्द ही थे । वादी ने त्रुटिपूर्ण रूप से सीता और गोपी को उनका कायममुकामान बनाया था जबकि वो नन्दा के कायममुकामान नहीं थे । नन्दा के द्वारा एक वसीयत सन् 2012 में माणकचन्द के पक्ष में निष्पादित की थी । यह वसीयत बाद में निष्पादित की गई थी इसलिए इसी वसीयत के अनुसार माणकचन्द को वादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्रदान किया गया है । तहसीलदार के द्वारा जो नामान्तरकरण माणक चन्द के पक्ष में खोला गया है उसको अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के द्वारा बहाल रखा गया है । अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय की प्रति आदेश 41 नियम 27 के साथ पेश की गई है । अपीलान्टगण का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है और न ही उनका कब्जा है । संशोधित टाईटल में वादीगण द्वारा गलती से इनका नाम अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । प्रकरण सन् 1997 से लम्बित था । अपीलान्ट प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 बहाल रखा जावे ।

11. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

12. हमने प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त दस्तावेजात में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 07.01.2020 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय तहसील के0 पाटन के निर्णय की फोटो प्रति हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं और न्यायालय के निर्णय की प्रति हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 25 में खसरा नम्बर 38 की रकबा 0.23 हैक्टर भूमि गोपाल, गोपीचन्द पिसरान माधो हिस्सा 1/2, गोमदा, नन्दा पिसरान शंकर हिस्सा 1/2 दर्ज है ।

नकल जमाबन्दी संवत् 2045–48 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 78 में कुल 10 किता की 46 बीघा 04 बिस्वा भूमि गोपाल, गोपीचन्द पिसरान माधो हिस्सा 1/2, गोमदा, नन्दा पिसरान शंकर हिस्सा 1/2 खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 21 में कुल 02 किता की 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि गोमदा, नन्दा पिसरान शंकर कौम माली के खाते में दर्ज है । नकल पर्चा खतौनी संवत् 1991 संलग्न है जिसके अनुसार शंकरिया वल्द खाना के खाते में खसरा नम्बर 52 की 04 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज है । दस्तावेजात को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है । इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2069–72 भी संलग्न है और नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 32 में खसरा नम्बर 38 की रकबा 0.23 हैक्टर भूमि गोपाल, गोपीचन्द पिसरान माधो हिस्सा 1/2 गोमदा, नन्दा पिसरान शंकर हिस्सा 1/2 दर्ज है । इनको भी प्रदर्श नहीं करवाया गया है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.03.2019 के अनुसार पी0डी0 हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं परन्तु पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही कोई राजीनामा पक्षकारों के द्वारा पेश किया गया है । दिनांक 10.04.2019 को अपीलाधीन निर्णय में भी पक्षकारान के द्वारा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति दिया जाना अंकित किया गया है परन्तु पक्षकारों के हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं है ।

16. अपील में अपीलान्ट का यह कथन है कि सीताबाई की मृत्यु दिनांक 17.02.2006 को हो चुकी थी उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है उन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में सीताबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है जिसके अनुसार उनकी मृत्यु दिनांक 17.02.2006 को हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीताबाई के कायममुकामान को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो विधि– विरूद्ध है । आरआरटी 2017 (2) पेज 1047, 2008 (8) एससीसी पेज 531 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय अकृत होता है ।

17. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 14.11.2014 की प्रति पेश की है परन्तु यह निर्णय नामान्तरकरण से सम्बन्धित है और नामान्तरकरण एक फिसकल प्रक्रिया होती है जिससे पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व निर्धारित नहीं किये जा सकते । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे (एससी) 2019 पेज 131 यहॉ चस्पा होती है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1/3 को 1/4 हिस्सा दिया है और यह किस आधार पर दिया गया है यह अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है क्योंकि इस प्रकरण में नन्दा के अधिकार तय किये जाने थे और नन्दा के कायममुकामान 1/1 पर सीताबाई और 1/2 पर गोपी का नाम भी अंकित है उनको नन्दा की आराजी में हिस्सा नहीं देकर सिर्फ 1/3 माणकचन्द को किस आधार पर दिया गया है यह भी अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है । प्रकरण में कायममुकामान के अधिकार तय नहीं होने थे वरन् पक्षकारों के अधिकार तय होने थे । 2010 (2) एससीसी पेज 162 भी यहॉ चस्पा होती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सीताबाई के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर पक्षकारान की साक्ष्य रिकॉर्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा